

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक/नर्सिंग (F)/स्वै0नि0/एस-238/2019/

दिनांक:-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अलवर।

विषय: श्रीमती सुलोचना, महिला स्वास्थ्य दर्शिका के स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति
आदेश जारी करने बाबत।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक संस्थापन/अराजपत्रित/2019/2645 दिनांक
24.12.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में श्रीमती सुलोचना, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, किशनगढ बास, अलवर के दिनांक 01.02.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने के सम्बन्ध में लेख है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/विधि/06/365 दिनांक 21.11.2006 के द्वारा नर्सिंग कर्मियों की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर रोक है।

अतः कार्मिका को दिनांक 01.02.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया जाना संभव नहीं है आप अपने स्तर से कार्मिका को पाबन्द/ सूचित करें।

sd

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/स्वै0सेनि0/एस-238/2018/145

दिनांक:- 26.12.2019

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
2. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

[Handwritten Signature]

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर